# अध्याय VIII
# विविध

## 8.1 जीएलओ से अधिक या समान के लिए निपटान हेतु प्रस्तावों की अस्वीकृति

वसूली नीति में ओटीएस/एनएस राशि जीएलओ से कम न हो; अधीन ओटीएस/एनएस को विचारार्थ और अनुमोदन के लिए सीओओ पर शक्तियां प्रदत्त हैं। लेखापरीक्षा ने पाया कि निम्नलिखित दो मामलों में, सीओओ द्वारा इन शक्तियों को प्रयोग नहीं किया गया।

**₹ करोड़ में**

| क्र. सं. | उधारकर्ता का नाम | जीएलओ | उधारकर्ता द्वारा किया गया प्रस्ताव |
|---|---|---|---|
| 1 | डायनैमिक्स लोजिस्टिक्स प्रा. लि. | 8.00 | 16.54 |
| 2 | सुपर फोर्जिंग एंड स्टील लिमिटेड | 4.75 | 4.50+0.25* |
| | **कुल** | **12.75** | **21.29** |

(नोट * प्रस्ताव से पहले अप्रैल 2008 में ₹ 25 लाख अदा किये गये)

इन दो मामलों में, पहला मामला *निर्णायाधीन* है और दूसरे में उधारकर्त्ता ने अपना प्रस्ताव वापस ले लिया है। इन मामलों की चर्चा नीचे की गई है:

## 8.2 डायनामिक लोजीस्टिक्स प्राइवेट लिमिटेड (एनएलओ ₹ 4 करोड़)

आईडीबीआई ऋण वसूली अधिकरण (डीआरटी) मुंबई में वसूली हेतु एक मामला पहले ही फाईल (मई 2000) कर चुकी थी, जिसे डीआरटी, पुणे को स्थानांतरित कर दिया गया था। डीआरटी ने वसूली तक आवेदन की तिथि से ब्याज सहित ₹ 11.10 करोड़ राशि हेतु निपटान स्वीकृत किया (सितम्बर 2003)। तत्पश्चात, डीआरटी ने ₹ 20.49 करोड़ हेतु वसूली प्रमाण पत्र जारी किया (जनवरी 2004), जिसमें मूलधन के ₹ 11.10 करोड़ और ब्याज और फीस के ₹ 9.39 करोड़ शामिल थे। डीआरटी ने उधारकर्ता के पट्टेदार (किरलोसकर ऑयल ईंजन्स लिमि.) के प्रति अनुऋणी[8] आदेश भी जारी किये (अक्तूबर 2004)। न्यास जनवरी 2008 तक अनुऋणी राशि के रूप में केवल ₹ 4.57 करोड़ का संग्रह कर सका।

---

[8] एक व्यक्ति जो धन या संपत्ति रखता है जो किसी ऋणदाता द्वारा कूर्की कार्यवाहियों के अधीन एक देनदार से संबंधित होती है।

इसी बीच, न्यास ने ₹ 17.83 करोड़ (मूलधन के प्रति ₹ 8 करोड़, ब्याज के प्रति ₹ 5.83 करोड़ और अन्य वसूली के प्रति ₹ 4 करोड़) के एक ओटीएस का प्रस्ताव किया (जून 2006) जिसे उधारकर्ता द्वारा (क) न्यास द्वारा ₹ 17.83 करोड़ राशि के ओटीएस के विवरण उपलब्ध कराने, (ख) न्यास द्वारा प्रस्तावित ₹ 17.83 करोड़ को न्यास द्वारा संग्रहित ₹ 3.27 करोड़ की अनुऋणी राशि से समायोजित किया जाना, (ग) 8 प्रतिशत प्रति वर्ष ब्याज सहित 18 समान मासिक किश्तों में 25 *प्रतिशत* अग्रिम और राशि; के अधीन स्वीकार किया गया (नवम्बर 2006)। हालांकि, न्यास ने प्रस्तुत किय गये प्रस्ताव पर कोई कार्रवाई नहीं की। न्यास ने सरफीजी अधिनियम की धारा 13(2) के अंतर्गत इस आधार पर नोटिस जारी किया (नवम्बर 2009) कि बकाया वसूली के लिए किये गये प्रयासों को उधारकर्ता/प्रमोटर्स द्वारा रोका गया था। न्यास के अनुसार, सरफीजी अधिनिमय की धारा 13(4) के अंतर्गत उधारकर्त्ता की परिसंपत्तियों को अधिकार (अप्रैल 2010) में लेने के लिए किये गये प्रयास उधारकर्ता के असहयोग के कारण विफल हो गये। उधारकर्ता ने सरफीजी अधिनियम की धारा 17 के अंतर्गत परिसंपत्तियों को अधिकार में लेने के विरोध में डीआरटी से स्टे प्राप्त कर लिया (2010)।

जुलाई 2010 में डीआरटी में चल रही सुनवाई के दौरान, न्यास और उधारकर्ता बकाया के निपटान हेतु सहमत हो गये। तदनुसार, उधारकर्ता ने ₹ 17.83 करोड़[9] (जून 2006 में न्यास द्वारा प्रस्तावित समान राशि) का एक नया ओटीएस प्रस्ताव प्रस्तुत किया (जुलाई 2010)। यह न्यास को स्वीकार्य नहीं था और इसने अधिक सुधार हेतु उधारकर्ता को अनुरोध किया (अगस्त 2010)। उधारकर्ता ने ₹ 17.72 करोड़[10] (12 समान किश्तों में 25 *प्रतिशत* आरंभिक अदायगी और 75 प्रतिशत शेष) के लिए एक और ओटीएस प्रस्ताव प्रस्तत किया (अप्रैल 2013)। इस प्रस्ताव को न्यास द्वारा मान लिया गया और उधारकर्ता को अन्य ऋणदाताओं के साथ समझौते विवरण और विगत तीन वर्षों के लिए तात्कालिक लेखापरीक्षित परिणाम, जो प्रतीक्षित थे; को प्रस्तुत करने का अनुरोध किया गया (अप्रैल 2013)।

उपरोक्त संदर्भ में लेखापरीक्षा ने पाया कि:

- हालांकि जनवरी 2004 में डीआरटी द्वारा वसूली प्रमाण पत्र जारी कर दिया गया था, न्यास ने इस पर कोई कार्रवाही नहीं की। न्यास ने जून 2006 में एक ओटीएस प्रस्ताव तैयार किया।

---

[9] ₹ 17.83 करोड़ के निवल प्रस्ताव में उधारकार्ता द्वारा की गई गणना के रूप में न्यास द्वारा प्राप्त/प्राप्त ₹ 5.86 करोड़ की अनुऋणी राशि से कम।

[10] ₹ 17.72 करोड़ (न्यास द्वारा वसूली गई अनुवृणी राशि ₹ 13.15 + ₹ 4.57 करोड़)

- न्यास द्वारा तैयार किया गया (जून 2006) ₹ 17.83 करोड़ का ओटीएस प्रस्ताव उधारकर्ता द्वारा स्वीकृत किया गया था जो इस स्पष्टीकरण के अधीन था कि प्रस्तावित राशि कहां तक पहुँची थी। न्यास इस संबंध में स्पष्टीकरण दे सकता था और उधारकर्ता द्वारा इसका अनुपालन करने में विफल रहने की स्थिति में, इसे तुरंत सरफीजी अधिनियम स्वीकार करना चाहिए था। हालांकि, न्यास ने नवम्बर 2009 तक भी प्रभावी रूप से कार्य नहीं किया जब तक कि सरफेसी अधिनियम के अंतर्गत नोटिस जारी किया था।

- यह भी देखा गया कि विभिन्न स्तरों पर निर्णयों के बावजूद, उधारकर्ता ने भुगतान/निपटान में विलम्ब किया। हालांकि, डीआरटी ₹ 20.49 करोड़ हेतु वसूली प्रमाण पत्र जारी किये और तत्पश्चात न्यास के ₹ 17.83 करोड़ हेतु प्रस्तावित ओटीएस को उधारकर्ता द्वारा पालन किये जाने की अपेक्षा उसके द्वारा सवाल उठाये गये। चार वर्षों के बाद, जुलाई 2010 में, उधारकर्ता ने ₹ 17.83 करोड़ हेतु ओटीएस प्रस्ताव तैयार किया जो न्यास द्वारा प्रस्तावित राशि के समान था। एक समय पर मूल्य आधार पर प्रस्ताव वास्तविक रूप से कम था।

- हालांकि, इस बात का साक्ष्य था कि उधारकर्ता ने ऋण निपटान में शीघ्रता नहीं की, न्यास ने प्रमोटर्स (श्री के. एम. तेलरा, श्री प्रफुल्ल तेलरा) के ₹ 8.50 करोड़ की व्यक्तिगत गारंटी पर कार्रवाई नहीं की क्योंकि न्यास के पास कोई पुष्टिकारक संपत्ति ब्यौरे उपलब्ध नहीं थे। यह व्यक्तिगत गारंटी मांगी गई थी परंतु कोई राशि वसूल नहीं की जा सकी।

- दोनों प्रस्ताव (जुलाई 2010 और अप्रैल 2013) कार्यकारी ट्रस्टी द्वारा निपटाये गये थे जबकि प्रस्तावों को प्रत्यायोजन शक्तियों के अनुसार निर्णय हेतु सीओओ के सामने रखा जाना चाहिए था।

- एसएएसएफ ने रिकार्डों के अनुसार, उधारकर्ता ने बकाया देय के 100 प्रतिशत तक आईसीआईसीआई बैंक के साथ ₹ 34 करोड़ का निपटान किया और सिडबी के मामले में, यह ₹ 40 करोड़ कुल देय के निपटान के लिए ₹ 5.87 करोड़ के लिए सहमत हो गये। उधारकर्ता की परिसंपत्तियां (भूमि और भवन) का मूल्य ₹ 83 करोड़ (अप्रैल 2010) था। न्यास का यथानुपात भाग न्यास द्वारा नहीं निकाला गया था।

न्याय ने कहा (अगस्त 2013) कि बीओटी ने सिडबी/आईसार्क के साथ कंपनी द्वारा किये गये निपटान के अनुसार निपटान प्रस्ताव अनुमोदित किया जिससे ₹ 17.12 करोड़ की वसूली अपरिहार्य थी।

## 8.3 सुपर फोर्जिंग्स एंड स्टील लिमिटेड (एनएलओ ₹ 2.58 करोड़)

पार्टी की देय राशि एसएएसएफ (अप्रैल 2008) द्वारा पुन: तैयार की गई थी और इसी प्रकार उधारकर्ता द्वारा ₹ 4.75 करोड़ अदा करनी अपेक्षित थे। घटते हुए शेष पर 10.25 प्रतिशत प्रतिवर्ष दर पर ब्याज के साथ 20 तिमाही किश्तों में 2 वर्षों की अधिस्थगन अवधि के बाद, देय राशि पांच वर्षों में अदा की जानी थी। उधारकर्ता ने अप्रैल 2008 में ₹ 25 लाख अदा किये और बाद में चूक की। उधारकर्ता ने मई 2011, जनवरी 2012 और मई 2012 में ओटीएस प्रस्ताव तैयार किये। मई 2012 में प्रस्ताव तैयार करने के अनुसार, पार्टी ने मई 2011 में ₹ 50 लाख सहित ₹ 4.50 करोड़ की पेशकश की। पहले अदा की गई राशि (₹ 75 लाख) की राशि को ध्यान में रखते हुए, उधारकर्ता द्वारा किया गया कुल ऑफर ₹ 4.75 करोड़ का था, जो जीएलओ के समान था। उधारकर्ता ने न्यास की अस्वीकृति के कारण दिसम्बर 2012 में ऑफर वापस ले लिया। सभी तीन अवसरों पर, न्यास ने पार्टी द्वारा तैयार प्रस्ताव में सुधार हेतु अनुरोध किया।

परिसंपत्तियों के वसूली मूल्य पर न्यास के यथानुपात भाग केवल ₹ 1.75 करोड़ (नवम्बर 2009) पाया गया और दिसम्बर 2011 में यह नगण्य पाया गया। उधारकर्ता की परिसंपतियां भी न्यास के अंतर्गत प्रभारित नहीं की गई थी। न्यास के अंतर्गत, पार्टी से प्राप्त व्यक्तिगत गारंटी मांगी गई थी परंतु न्यास के पास गारंटर की संपत्तियों का ब्यौरा नहीं था। हालांकि, व्यक्तिगत गारंटी की प्रतियां लेखापरीक्षा को उपलब्ध नहीं कराई गई थी। इस संबंध में आगे कोई कार्रवाई नहीं की गई।

न्यास ने कहा (अगस्त 2013) कि अगस्त 2013 में सीओओ ने मई 2012 में पार्टी द्वारा प्रस्तावित निपटान को अनुमोदित कर दिया।

## 8.4 देय राशि को माफ/वास्तविक देयता का प्रतिपादन करने से संबंधित वसूली नीति का पालन न करना

वसूली प्रक्रिया के अनुसार, यदि क्रिस्टलाईज्ड राशि के भुगतान में चूक पाई जाती है, न्यास के पास देय राशि (वसूली नीति का अनुबंध I) के लिए; यदि कोई है तो, उधारकर्ता द्वारा ऋण करार में शामिल और प्राप्त राशि समायोजन की शर्तों के अनुसार देय राशि छूट रिवर्स और वास्तविक देयता पुन: प्राप्ति के अधिकार होंगे।

अग्रलिखित दो मामलों में, उपरोक्त नीति का पालन नहीं किया गया था:

**₹ करोड़ में**

| क्र. सं. | उधारकर्ता का नाम | समझौते से निपटान के अनुमोदन की तिथि | एनएलओ | ओटीएस/ एनएस | वसूली गई राशि |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | श्री वासवी इंडस्ट्रीज लिमि. (प्रमोटर्स श्री जी. ईश्वरा राव) | दिसम्बर 2011 और दिसम्बर 2012 | 32.00 | 50.00 (दिसम्बर 2012) | 1.00 |
| 2 | इस्पात प्रोफाईल्स इंडिया लिमि. (प्रमोटर्स - श्री एम. एल. मित्तल, श्री वी. के. मित्तल और प्रमोद मित्तल | जून 2005, सितम्बर 2010 और दिसम्बर 2012 | 42.13 | 56.92 (दिसम्बर 2012) | निवल |

- वासवी इंडस्ट्रीज लिमिटेड के संबंध में ₹ 14.50 करोड़ हेतु श्री जी. ईश्वरा राव, श्री जी. सी. एच. संन्यासी राजू और श्री बद्रीनाथ की व्यक्तिगत गारंटी और इस्पात प्रोफाईल्स इंडिया लिमिटेड के संबंध में ₹ 130.03 करोड़ के लिए श्री एम. एल. मित्तल के पीजी उपलब्ध थे और मांगे गये थे। हालांकि, दोनों मामलों में संपत्ति विवरण उपलब्ध नहीं थे।

- वासवी इंडस्ट्रीज लिमिटेड के संबंध में, न्यास ने कहा (अगस्त 2013) कि वह निपटान के निरसन की प्रक्रिया आरंभ कर चूका था। हालांकि कंपनी ने निपटान की टर्मिनल तिथि की पुनर्अदायगी अवधि के पुनर्निर्धारण के लिए चर्चा की, जो न्यास के विचारधीन थी। इसने आगे कहा कि कंपनी ने जुन 2013 में ₹ 3.10 करोड़ अदा किये थे।

- इस्पात इंडस्ट्रीज इंडिया लिमिटेड के संबंध में, न्यास ने कहा (अगस्त 2013) कि उसने परक्राम्य इंस्टरूमेंट्स अधिनियम की धारा 138 के अंतर्गत कार्रवाई की थी और कंपनी के संबंधित अधिकारियों के प्रति एक आपराधिक मामला फाईल कर चुका है और सिबिल को चूक की सूचना दे दी गई है। इसने आगे बताया कि न्यास निपटान निरस्त करने और देय राशि की वसूली हेतु वैधानिक कार्रवाई करने हेतु बीआईएफआर से अनुमति प्राप्त करने की कार्यवाही कर रहा था।

## 8.5 बिक्री शर्तों को पूरा किये बिना सुरक्षित परिसंपत्तियों का हस्तांतरण - देऊ मोटर्स लिमिटेड

न्यास विलेख के अनुसार, आईडीबीआई ने देवू मोटर्स इंडिया लिमिटेड (डीएमआईएल) के संबंध में ₹ 267.98 करोड़ के निवल ऋण बकाया (एनएलओ) आईडीबीआई (सितम्बर 2004) में हस्तांतरित किये। एसएएसएफ के मामले के हस्तांतरण के समय पर, ऋणदाता (आईडीबीआई, आईसीआईसीआई और एग्जिम बैंक) पहले ही उनके ऋणों की वापसी करा चुका था और डीएमआईएल के प्रति 2002 में डीआरटी मुंबई/चेन्नै में वसूली अभियोग फाईल कर चुका था।

डीआरटी के वसूली अधिकारी ने चूककर्ता देनदार से संबंधित संपत्ति के ₹ 765 करोड़ हेतु मै. क्रासलिंक्स फिन्लीज प्राईवेट लिमिटेड ने नामिति पैन इंडिया मोटर्स प्राइवेट लिमिटेड के खरीद ऑफर की पुष्टि (अक्तूबर 2007) की। इसमें से, ₹ 266.75 करोड़ का अग्रिम भुगतान किया गया था तथा शेष ₹ 497.25 करोड़ का डिबेंचर के लिए आबटंन पत्र जारी करके भुगतान किया गया था (₹ 267.75 करोड़ के अपरिवर्तनीय डिबेंचर तथा ₹ 229.50 करोड़ के वैकल्पिक परिवर्तनीय डिबेंचर प्रत्याभूत)।

एसएएसएफ का शेयर भाग ₹ 242.08 करोड़ था (नकद द्वारा ₹ 41.46 करोड़, अपरिवर्तनीय डिबेंचर संरक्षित माध्यम से ₹ 92.59 करोड़ तथा वैकल्पिक परिवतनीय डिबेंचर द्वारा ₹ 108.02 करोड़)। डीआरटी के वसूली अधिकारी ने अन्य बातों के साथ-साथ यह निर्णय लिया था (अक्तूबर 2007) कि वचन तथा दृष्टि बंधक बनाकर एआरसीआईएल तथा एसएएसएफ को उनके भुगतान के लिए डिबेंचर आबंटन पत्र जारी करके अग्रिम भुगतान की प्राप्ति पर, डीआरटी प्राप्तकर्ता को मैं. क्रोसलिकंस फिनलीज प्राइवेट लिमिटेड के नामिति पैन इंडिया मोटर्स प्राइवेट लिमिटेड को मुकद्दमें वाली प्रोपर्टी का कब्जा सौंप देना चाहिए।

एसएएसएफ एवं एआरसीआईएल दोनो ने डीआरटी प्राप्तकर्ता को गलत सूचना दी (अक्तूबर 2007) कि आबंटन पत्र, वचन तथा दृष्टि बंघक को आदेश में उल्लिखित

उनके भुगतान के लिए बनाया गया है। उन्होनें प्राप्तकर्ता को यह भी सूचित किया कि ₹ 187.75 करोड़ की राशि की प्राप्ति पर (जमा में पडे हुए उपार्जित ₹ 76.50 करोड़ पर ₹ 3.4 करोड़ के ब्याज के समायोजन के पश्चात) उन्हें डीआरटी प्राप्तकर्ता को मैं. क्रासलिंक फिनलीज प्राइवेट लिमिटेड के नामिति पैन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को मुकद्दमें वाली प्रोपर्टी का कब्जा सौपंने पर कोई आपत्ति नहीं थी।

डीआरटी के वसूली अधिकारी को एआरसीआईएल/एसएएसएफ द्वारा दी गई सूचना के विपरीत, क्रेता ने डिबेंचर के मामले में चूक की थी। उपरोक्त चूक के प्रति, एआरसीआईएल ने डीआरटी, मुम्बई जिसमें चूककर्ता क्रेता को परिसम्पत्तियों की ब्रिकी रद्द करने के आदेश के साथ एआरसीआईएल के पक्ष में निर्णय दिया था (नवम्बर 2012), के समक्ष आवेदन किया (मार्च 2009)। डीआरटी ने अपने प्रतिनिधियों की उपस्थिति में वस्तुसूची सत्यापन करने के निर्देशों के साथ एआरसीआईएल को प्राप्तकर्ता भी बनाया। डीआरटी के उपरोक्त निर्णय के प्रति, उधारकर्ता ने डीआरटी, मुम्बई जिसमें ली गई वस्तुसूची के साथ जारी करने के लिए डीआरटी प्राप्तकर्ता को अनुमति के साथ आवेदन के लंबित निपटान को जारी रखने के लिए यथास्थति आदेश दिया था, के समक्ष अपील की है (फरवरी 2013)।

एआरसीआईएल ने न्यास को सूचित किया था (जून 2013) कि क्रेता ने नवम्बर 2012 में डीआरटी मुम्बई द्वारा आदेशित रूप में वस्तुसूची देने से मना कर दिया।

लेखापरीक्षा के लिए प्रस्तुत कराए गए रिकार्ड से पता चला कि न्यास ने डीआरटी के समक्ष सभी कार्रवाईयों में एआरसीआईएल के माध्यम से कार्य किया। क्रेताओं द्वारा डिबेंचर आबंटन पत्र जारी नहीं किए गए। हालांकि, एआरसीआईएल तथा एसएएसएफ दोनों ने डीआरटी प्राप्तकर्ता को यह गलत प्रस्तुति दी कि मैं. क्रासलिंकस फिनलीज प्राइवेट लिमिटेड के नामिति पैन इंडिया मोटर्स प्राइवेट लिमिटेड ने उनके पक्ष में तथा उनके भुगतान के लिए डिबेंचर के संबंध में आबंटित पत्रों को जारी करने की स्थति का अनुपालन किया है। यदि उन्होंने सही प्रस्तुति की होती तो डीआरटी चूककर्ता क्रेता के साथ उधारकर्ता की परिसम्पत्तियों से अलग नहीं होता।

अक्तूबर 2007 से मार्च 2009 के दौरान, क्रेता द्वारा की गई चूक के प्रति डीआरटी के समक्ष अपील के लिए कोई कार्रवाई नहीं की गई।

डीआरटी, मुम्बई के समक्ष वसूली याचिका दायर करने (मार्च 2009) के पश्चात् भी, एआरसीआईएल ने डिबेंचर के मामले के लिए चूककर्ता क्रेताओं से सहमति शर्ते स्वीकार की (नवम्बर 2009)। इसके अनुसार, क्रेताओं को क्रेताओं की इक्विटी तथा डिबेंचर निकायों की नियुक्ति की प्रतिज्ञा के विवरण के साथ डिबेंचर के आबंटन पत्र

जारी करने थे। परन्तु उपरोक्त विवरण को डिबेंचर के आबंटन पत्रों में वर्णित नहीं किया गया। आबंटन पत्र का डिबेंचर प्रमाणपत्र के साथ विनिमय नहीं किया गया। इसके अलावा, इसमें डिबेंचर ट्रस्ट डीड के कार्यान्वयन तथा पंजीकरण, दृष्टिबंधक के असत्यापित ज्ञापन के कार्यान्वयन तथा व्यवसाय योजना की प्रस्तुति के संबंध में कोई अनुपालन नहीं था। परन्तु क्रेताओं ने डिबेंचर ट्रस्टीज के विवरण, क्रेताओं के इक्विटी शेयर के वचन का विवरण आदि का वर्णन न कर के पुन: चूक की।

हालांकि, अचल परिसम्पत्तियों की ब्रिकी को डीआरटी, मुम्बई के समक्ष दायर की गई याचिका की प्रतिक्रिया में रद्द कर दिया गया था (नवम्बर 2012) तथा आवेदक वस्तुसूची लेने के लिए प्राधिकृत था, इसे क्रेता के सहयोग न करने के कारण नहीं किया जा सका था (जून 2013)।

न्यास ने कहा (अगस्त 2013) कि यह एआरसीआईएल तथा आईएलएफएस (पैन इंडिया मोटर्स प्राइवेट लिमिटेड में इक्विटी निवेशक) के साथ समन्वय मे सम्पत्ति की ब्रिकी हेतु तथा डीआरएटी में ऋणदाता को परिसम्पत्ति सौपंने के लिए एआरसीआईएल के साथ केस लड़ने की भी कोशिश कर रहे हैं।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि सम्पत्ति मै.क्रासलिंकस फिनलीज लिमिटेड के नामिति पैन इंडिया मोटर्स प्राइवेट लिमिटेड को खरीद पर ध्यान दिए बिना सौंपी गई। यह एक उदाहरण है जहां न्यास अपने वित्तीय हित की सुरक्षा में विफल रहा।

## 8.6 एक चूककर्ता ऋणी-मै. ओरिएंटल इंडस्ट्रीज लिमिटेड की सम्पत्ति की नीलामी में अत्यधिक विलम्ब

मै. ओरिएंटल इडंस्ट्रीज लिमिटेड से सबंधित ₹ 19.47 करोड़ के बकाया ऋण के प्रति, डीआरटी, चंडीगढ़ ने चूक राशि के भुगतान के लिए आदेश पारित किया (मार्च 2003)। तथापि, दस वर्षो के पश्चात् भी परिसम्पत्तियों के निपटान के लिए न्यास द्वारा कोई संबंधित कार्रवाई नहीं की गई, डीआरटी ने अपनी एक सुनवाई में पाया (2013) कि:

- 22 स्थगन प्राप्त करने के पश्चात भी न्यास द्वारा वसूली प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किया गया था।
- न्यास के जीएम डीआरटी द्वारा निर्धारित शर्तों के अनुसार प्रस्ताव दर्ज करने वाले व्यक्तियों में नहीं थे।

- न्यास तीन वर्षों के पश्चात भी न्यास के प्राधिकृत अधिकारी के हलफनामे के साथ समर्थित गिरवी सम्पत्तियों के विवरण के साथ-साथ मूल्यांकन रिपोर्ट प्रस्तुत करने में विफल रहा।

- न्यास, अपेक्षित गंभीरता के साथ वसूली कार्यवाही का अनुसरण नहीं कर रहा था तथा ब्याज के कारण प्रत्येक माह अनुमानित ₹ 30 लाख की अपरिहार्य हानि उठा रहा था।

  उपरोक्त खामियों को ध्यान में रखते हुए, डीआरटी ने न्यास पर डीआरटी बार एसोसिएशन, चंडीगढ में जमा करने के लिए ₹ 20,000 का जुर्माना लगाया।

- डीआरटी के साथ न्यास द्वारा दर्ज (अप्रैल 2013) एक अतिरिक्त हलफनामे से यह मालूम हुआ कि उधारकर्ता के परिसर का अग्र भाग मैं. कोहिनूर ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन को उधारकर्ता द्वारा या तो पट्टे पर दिया गया या बेचा गया है।

  लेखापरीक्षा ने पाया कि ट्रस्ट की ओर से सम्पत्ति के मूल्यांकन तथा इसके निपटान के लिए समय पर कार्रवाई करने में विलम्ब हुआ। इसके परिणामस्वरूप उधारकर्ता द्वारा सम्पत्ति के भाग की अप्राधिकृत ब्रिकी पट्टे पर देने के अलावा ₹ 19.47 करोड़ की उगाही नहीं हुई। न्यास ने विभिन्न तर्कों पर दिसम्बर 2003 तथा मई 2013 के बीच 22 स्थगन किए परन्तु अभी भी मामलें का निपटान नहीं हो सका।

- न्यास ने कहा (अगस्त 2013) कि मामला, अपने देयों की उगाही के लिए तथा वसूली एजेन्ट के माध्यम से वसूली में तेजी लाने तथा उसे अधिकतम करने हेतु सभी प्रयास करने के लिए वसूली एजेंटो को सौंपा गया है।

- उत्तर को इस संदर्भ में देखा जाना है कि न्यास ने अभियोजन के लिए डीआरटी के समक्ष आवेदन करने के लिए दो वर्षों से अधिक का समय लिया था तथा जनवरी 2009 में अभियोजित होने के पश्चात् न्यास ने मूल्यांकन रिपोर्ट फाइल करने के लिए ढाई वर्षों का अतिरिक्त समय लिया तथा विलम्ब से डीआरटी की आलोचना हुई।

## 8.7 निपटान के भाग के रूप में/शेयरों की स्वीकृति

ट्रस्ट डीड (24 सितम्बर 2004) के खण्ड 5(ख) के अनुसार, ट्रस्ट्रीज को उधारकर्ता के साथ निपटान करके, कानूनी उपाय करके अथवा ऐसे उपायों को अपनाकर जैसा वे ठीक समझे परन्तु भू-राजस्व के बकाया के रूप में उनकी वसूली को सीमित करके नहीं, पुनर्गठन द्वारा परिसम्पत्तियों की वसूली करनी चाहिए। तदनुसार, एसएएसएफ ने निपटान के हिस्से के रूप में इक्विटी/प्राथमिक शेयरों को स्वीकृत किया था तथा 31 मार्च 2013 तक ऐसे शेयरों का अंकित मूल्य ₹ 204.81 करोड़ था।

लेखापरीक्षा में निम्नलिखित आपत्तियां की गई है:

- नौ वर्षों की अवधि में, एसएएसएफ शेयरों के निपटान/पुन: क्रय द्वारा केवल ₹ 22.66 करोड़ की ही वसूली कर सका।

- ₹ 204.81 करोड़ के उद्धृत/ अनुद्धृत शेयर के विश्लेषण से पता चला कि एसएएसएफ ने ₹ 129.52 करोड़ के अनुद्धृत शेयर रखे थे। अनुद्धृत शेयरों को स्वीकार करना अर्थहीन था क्योंकि ट्रस्ट के पास उन शेयरों को निपटान करने के लिए कोई रास्ता नहीं था। इसके अलावा, 31 मार्च 2013 तक ₹ 75.29 करोड़ के उद्धृत निवेश का बाजार मूल्य ₹ 18.39 करोड़ था। उद्धृत तथा अनुद्धृत शेयरों का विवरण तथा 31 मार्च 2013 तक बाजार मूल्य निम्नानुसार है:

**₹ करोड़ में**

| क्रम संख्या | श्रेणी | मामलों की संख्या | अधिग्रहण की लागत | बाजार मूल्य |
|---|---|---|---|---|
| 1 | उद्धृत परन्तु 31 मार्च 2013 तक बाजार मूल्य उपलब्ध नहीं | 6 | 6.29 | उपलब्ध नहीं |
| 2 | उद्धृत तथा बाजार मूल्य अधिग्रहण की लागत से कम | 27 | 64.34 | 11.31 |
| 3 | उद्धृत तथा बाजार मूल्य अधिग्रहण की लागत से अधिक | 9 | 4.66 | 7.08 |
| **4** | **उद्धृत निवेशो का जोड़ (1+2+3)** | **42** | **75.29** | **18.39** |
| 5 | अनुद्धृत निवेशों का जोड़ | 43 | 129.52 | उपलब्ध नहीं |
| **6** | **जोड़ (4+5)** | **85** | **204.81** | |

- विस्तृत जांच के लिए लेखापरीक्षा द्वारा चयनित 88 मामलों में से, 19 मामलों में ट्रस्ट ने निपटान के भाग के रूप में शेयरों को स्वीकार किया। 19 मामलों के विश्लेषण से पता चला कि दस मामलों (₹ 51.18 करोड़) में पुन:

बिक्री का कोई प्रावधान नहीं था तथा नौ मामलों (₹64.88 करोड़) की जांच से पता चला कि एक मामले को छोड़कर पुन: बिक्री प्रावधान का पूर्ण अनुपालन (पांच मामलों) नहीं किया गया। पार्टी द्वारा अनुपालन न करने के कारण एक मामले में, ₹ 3.54 करोड़ के शेयर को बाजार में ₹ 64 लाख में बेचा गया व एक मामले में, स्वीकृत पुन:बिक्री अवधि ट्रस्ट की समयावधि से अधिक थी तथा शेष एक मामले में पुन: बिक्री तिथि अक्तूबर 2015 है। विवरण निम्नानुसार है:

| **क्रम संख्या** | **कम्पनी का नाम** | **राशि (₹ करोड़ में)** | **पुन: बिक्री की तिथि** | **टिप्पणी** |
|---|---|---|---|---|
| 1. | एसजेके स्टील प्लांट लिमिटेड | 2.77 | जनवरी से मार्च 2013 | ₹ 5.38 करोड़ की वसूली हुई |
| 2. | ई.आर. टेक्सटाईल लिमिटेड | 7.71 | 31.03.2011 | कम्पनी ने शेयर की पुन: बिक्री के लिए शर्तों में चूक की जिसके कारण मई 2011 में निपटान को रद्द किया गया। |
| 3. | गणेश बेन्जोप्लास्ट लिमिटेड | 2.08 | उपलब्ध नहीं | कंपनी को ₹ 2.75 करोड़ के कुल मुआवजे के लिए शेयरों की पुन: बिक्री का परामर्श दिया गया (जून 2012)। |
| 4. | त्रिवेनी ग्लास लिमिटेड | 3.54 | अप्रैल 2007 | एसएएसएफ ने समर्थको को शेयरों की पुन: बिक्री की सलाह दी थी जिसे उनके द्वारा नहीं किया गया। कम्पनी द्वारा की गई चूक के कारण शेयरों को बाजार मे ₹ 64 लाख में बेचा गया फलस्वरूप ₹ 2.90 करोड़ की हानि हुई। |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 5. | एलएमएल लिमिटेड | 22.95 | सितम्बर 2012 में एनएस स्वीकृति के लिए आशोधन के अनुसार वि. व. 2024 तथा 2025 के दौरान ₹ 21.19 करोड़ के अधिमान अंश का प्रतिदान। | स्वीकृत प्रतिदान एसएएसएफ की समयावधि से अधिक है। |
| 6. | श्री वासावी इंडस्ट्रीज लिमिटेड | 5.61 | अक्तूबर 2015 से | अभी देय नहीं |
| 7. | दातरे कॉरपोरेशन लिमिटेड | 17.22 | अप्रैल 2012 से अप्रैल 2015 तक 4 किश्तों में | जून 2013 में 1.4.2014 तथा 1.4.2015 को दो बराबर किश्तों में संशोधित |
| 8. | आसामब्रुक लिमिटेड | 1.50 | अप्रैल 2012 | कंपनी ने अधिग्रहण लागत से अधिक कम राशि के भुगतान का प्रस्ताव दिया तथापि प्रस्ताव को स्वीकृत नहीं किया गया। मूल्य वसूली में आगे वृद्धि को अन्वेषित किया जा रहा है। |
| 9. | एजी फूडस लिमिटेड | 1.50 | दिसम्बर 2013 | केवल ₹ 80 लाख प्राप्त किए गए। |

ट्रस्ट ने कहा (अगस्त 2013) कि यह इक्विटी से संभावित वसूली अभाव के संदर्भ में सभी आगामी निपटानों में इक्विटी अधिग्रहण से बच सकता है। आगे यह कहा गया कि पुन: बिक्री शर्तों जब कंपनी अपने ओटीएस के पुन: निर्धारण/पुन: नवीकरण करने के लिए आती है, को अनुबंधित करके कम से कम पहले से ही अधिगृहित इक्विटी को भुनाने का प्रयास कर रही है।

*मंत्रालय ने अपने उत्तर में कहा कि एसएएसएफ ने बताया कि जहां भी संभव था वहा उपचारात्मक कार्रवाई की जा रही थी।*